(36)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1236—दो / 2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 06—02—2007 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 292 / निग0 / 2006—07

.....

1— हरिवंश प्रसाद तनय श्री माधव वैसवार
निवासी—ग्राम पिपरा, तहसील चितरंगी,
जिला—सीधी(म0प्र0)

2— रोहणी प्रसाद तनय नर्वदा प्रसाद
निवासी—ग्राम सुरूआ, तहसील सिंगरौली
जिला—सीधी(म0प्र0)

3— मुस0 शांतीदेवी बेवा श्री घनश्याम प्रसाद पाठक

4— विक्रम पाठक पुत्र स्व0 श्री घनश्याम प्रसाद पाठक
अवयस्क द्वारा संरक्षिका मां मुस0 शांतीदेवी बेवा श्री घनश्याम प्रसाद पाठक

5— वेदान्ती प्रसाद पुत्र श्री हीरामणि पाठक

6— वंश गोपाल पाठक पुत्र श्री हीरामणि पाठक

7— रघुनंदन प्रसाद पाठक पुत्र श्री हीरामणि पाठक

8— राजीव लोचन पाठक पुत्र श्री हीरामणि पाठक
निवासीगण—ग्राम ठुरूआ तहसील सिंगरौली
जिला—सीधी(म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— लालमणि तनय बल्देव पनिका
निवासी—ग्राम पिपरा तहसील चितरंगी, जिला—सीधी(म0प्र0)

2— मध्यप्रदे राज्य द्वारा कलेक्टर सीधी(म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 6/09/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–02–2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लोटन में स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 14/3, 75/2/3, 50 एवं 76/3 का आवेदकगण के नाम दिनांक 30.09.1955 कों पट्टा हो गया था। जिसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवसर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रकरण क्रमांक 55/अ–23/86–87 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2007 से प्रश्नाधीन भूमियां अनावेदकगण के नाम दर्ज की गई, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर बैढ़न के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर बैढ़न ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी देवसर को प्रत्यावर्तित किया । प्रकरण प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर दिनांक 24.08.1991 को आवेदकगण के पक्ष आदेश पारित किया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा निगरानी मय अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र के साथ अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 292/निग0/2006–07 पर पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 06.02.2007 से अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया। अपर आयुक्त रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों ने तर्क प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावे। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.08.1991 के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष 16 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अपर आयुक्त रीवा के आदेश का परिशीलन किया गया है, जिसमें अपर आयुक्त ने 16 वर्ष पश्चात् किये गये अवधी विधान की धारा 5 के आवेदन को स्वीकार किया है। प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अपर आयुक्त द्वारा 16 वर्ष के विलम्ब संबंधी धारा 5 के आवेदन को स्वीकार करने में उचित कार्यवाही की है। अपर आयुक्त द्वारा 16 वर्ष के विलम्ब के सम्बध में कोई सकारण आदेश पारित नहीं किया है। अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 06.02.2007 निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये, प्रकरण अपर आयुक्त रीवा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये सकारण आदेश पारित करें।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर